

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल**

क्रमांक 827/23/आउशि/अनु.ब./18  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/04/2018

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित  
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय  
म0प्र0 (कॉलम 06 के अनुसार)
2. प्राचार्य,  
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय  
म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

**विषय:-** अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/कीड़ा अधिकारी/ग्रंथपालों को वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड एवं तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर एरियर्स एवं अन्य भत्तों की राशि आवंटित करने बाबत।

**संदर्भ:-** म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 73-5/2014/38-3 दिनांक 19/20.03.15 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1401/260/अनु/16 दिनांक 09.08.16

क्र	महाविद्यालय का नाम	महावि. का पत्र क्रमांक / दिनांक	वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैंड के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान के एरियर्स हेतु मांग की गई राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	एरियर्स भुगतान हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क	827/09.02.18	4291038	---	शास. पीजी कन्या महावि. मोतीतबेला इन्दौर 1713802004	4291038
2	किश्चियन महा. इन्दौर	282/09.01.18	77732	---		गृहभाड़ा एरियर महा. स्तर से ही स्वीकृत किया जाता है।
	योग					4291038
3	ऋषीश्वर महावि. फूफ, भिण्ड	515/14.03.18	241956	---	शा0 एम.जे.एस. महावि0 भिण्ड 0403802001	241956
	योग					241956
4	तानसेन संगीत महावि. ग्वालियर	437/02.02.18	---	2711643		अपूर्ण प्रस्ताव
5	भारतीय संगीत महावि. ग्वालियर	172/16.08.17	2373637	---	शा0 विज्ञान महा. ग्वालियर 1413802001	अपूर्ण प्रस्ताव
6	माधव महावि. ग्वालियर	1267/06.07.17	21142473			21142473
	योग					21142473
7	ऋषिगालव महावि. मुरैना	870/15.03.18	286620	---	शास. पीजी महावि. मुरैना 2503802001	286620
	योग					286620
8	जय जवान महावि. तराना	53/04.12.18 74/16.02.18	608544	409831	शा0 कालिदास कन्या महा. उज्जैन 4303802009	1018375
	योग					1018375
9	श्रीजानकीरमण महावि. जबलपुर	71/05.01.18 71/24.02.18	116730	893794		893794
10	नवयुग कला/वाणिज्य महावि. जबलपुर	--/02.02.18 804/13.03.18	7262586 510720	---	शा0 महाकौशल क./वा. महा. जबलपुर 1803802002	एल.एफ.ए. का अनुमोदन अप्राप्त 510720
11	डी.एन. जैन महा. जबलपुर	55/10-01-18 56/10-01-18	7677133	58902		7736035
	योग					9140549

12	बी.एस.एस.एस. भोपाल	1928/05.01.18	5822157	---	शा0 हमीदिया कला/ वाणिज्य महावि. भोपाल 0523802005	5822157
13	साधु वासवानी (रविन्द्र महावि.) भोपाल	2023/27.01.18	---	1898791		1303044
	योग					7125201
14	य.प्र.शा. महावि. सिरमौर	58/07.03.18	1143162	---		1143162
15	राजभानुसिंह स्मारक महा. मनिकवार	630/28.02.18	1926711	---		1926711
16	सेठ रघुनाथ प्रसाद महा. हनुमना	138/27.01.18	2184381	---	शा0 विज्ञान महावि. रीवा 3203802007	2184381
17	सुदर्शन महा. लालगांव	562/02.02.18	---	7024		7024
18	जनता महा. रीवा	1192/27.03.18	241315	---		अपूर्ण प्रस्ताव
	योग					5261278
19	कमला नेहरू महा. सतना	276/09.06.17	1135998	---	शा0 पीजी महावि.सतना 3403802001	1135998
	योग					1135998
	सकल योग					49643488

**(चार करोड़, छियानवे लाख, तिरालीस हजार चार सौ अठ्यासी मात्र)**


- शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म. द्वारा अनुमोदित हो।
  - आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।
  - आवंटित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।
  - अनुदान प्राप्त अशासकीय संगीत महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले एवं अशैक्षणिक अमले को छठवां गैर यू.जी. सी. वेतनमान में उपरोक्त आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
  - उक्त आवंटित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।
  - उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं शिक्षा अधिकारी की होगी।
  - आवंटित राशि का व्यय, बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0103-42-002 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
  - संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय आपको आवंटित राशि 05 कार्यदिवस में आहरित/भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
  - दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को ऐरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।**

(डॉ० सुषमा बुबु) 18  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 828 /23/आउशि/अनु.ब./18  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 24 /04/2018

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, म.प्र.गवालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. प्रभारी अधिकारी,आई.टी.कक्ष,उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ० सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश